न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।

उपस्थितः **बृजेश कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा),**
JO Code No. UP 1605
UPBH010012762012

सत्र परीक्षण संख्या 318/2012

सरकार ------अभियोगी

प्रति

1– परवेश कुमार, उम्र 42 वर्ष, पुत्र दीन दयाल,
2– मोलहे, उम्र 36 वर्ष, पुत्र बाबादीन
निवासीगण– ग्राम बुढ़ानपुर, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच।
3– ओमप्रकाश, उम्र 30 वर्ष, पुत्र खुशीराम, निवासी भीखनपुरवा, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्ड़ा।
4– जग्गू उर्फ अजय कुमार, उम्र 39 वर्ष, पुत्र रामसमुझ, निवासी मगुरा बाजार, थाना उमरी बेगम गंज, जनपद गोण्ड़ा।

----अभियुक्तगण

अपराध संख्या– 339/2012,
धारा– 363, 366 भा०दं०सं०,
थाना– कैसरगंज, जनपद बहराइच।

निर्णय

1. पुलिस थाना–कैसरगंज, बहराइच द्वारा अभियुक्तगण परवेश कुमार, मोलहे, ओमप्रकाश व जग्गू उर्फ अजय कुमार के विरुद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० प्रस्तुत करके अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना की गयी। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि वादी की लड़की पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष को वादी के सगे भाई परवेश कुमार बहला–फुसला कर अपने सहयोगी मोहले के साथ दिनाँक 26.05.2012 को रात्रि करीब 11.00 बजे भगा ले गये हैं। वादी ने खोजबीन किया तो पता चला कि वादी की लड़की को उक्त दोनों लोग पटियाला शहर को ले गये हैं। वादी खोजते–खोजते पटियाला

शहर गया वहाँ वादी के पड़ोस गाँव के रहने वाले लोगों ने बताया कि एक लड़की को वादी के भाई व गाँव का मोलहे वहाँ से गोण्ड़ा शहर लेकर चले गये हैं। वादी वहाँ से गोण्ड़ा आया तो रिश्तेदारों से जरिये फोन जानकारी किया तो पता चला कि ग्राम मगुरा बाजार निवासी जग्गू उर्फ अजय कुमार के सहयोग से वादी की लड़की को ओमप्रकाश के साथ बहला–फुसला कर शादी कर दिया है। वादी लोकलाज के डर से खोजबीन करता रहा। वादी की लड़की दिनाँक 26.05.12 की रात्रि में करीब 11.00 बजे घर से परवेश के साथ भागी थी।

3. वादी की तहरीर के बावत थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच में मु०अ०सं० 339/2012, धारा 363, 366 भा०दं०सं० अंकित किया गया। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान का बयान अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण परवेश कुमार, मोलहे, ओमप्रकाश व जग्गू उर्फ अजय कुमार के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी।

5. अभियुक्तगण परवेश कुमार, मोलहे, ओमप्रकाश व जग्गू उर्फ अजय कुमार के विरूद्ध दिनांक 07.04.2015 को धारा 363, 366 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	**साक्षीगण का नाम**	
1–	पी०डब्लू० 1	पारसनाथ (वादी मुकदमा)
2–	पी०डब्लू० 2	पीड़िता
3–	पी०डब्लू० 3	डा० राबिया सुल्ताना

7. अभियोजन द्वारा अपने साक्षीगण के माध्यम से निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों को प्रमाणित कराया गया है–

तहरीर	प्रदर्श क–1
बयान पीडिता धारा 164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–2
मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
पूरक परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–4

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है–

प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–5

आरोप पत्र प्रथम	प्रदर्श क–6
आरोप पत्र द्वितीय	प्रदर्श क–7
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–8
नक्शा नजरी बरामदगी अपहृता	प्रदर्श क–9
रेडियोलाजी रिपोर्ट	प्रदर्श क–10
मेडिकोलीगल रिपोर्ट	प्रदर्श क–11
पैथालाजी रिफरेन्स स्लिप	प्रदर्श क–12
फर्द बरामदगी अपहृता	प्रदर्श क–13

उक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए रंजिश के कारण झूंठा, फर्जी मुकदमा होना कहा गया है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कथन किया गया है कि पूर्व की रंजिश के कारण फर्जी परेशान करने की नियत से फँसाया गया है।

9. मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता से उसकी सम्मति के बिना उसके साथ अयुक्त सम्भोग करने के आशय से जबरदस्ती भगाकर ले जाया गया। वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

11. खण्डनस्वरूप अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। पीड़िता घटना के समय बालिग थी। पीड़िता द्वारा न्यायालय पर उपस्थित होकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

12. न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 26.05.2012 को समय करीब 11.00 बजे रात, बहद ग्राम बुढ़ानपुर, थाना कैसरगंज, जिला बहराइच के अन्तर्गत अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा पारसनाथ की पुत्री/पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता से बहला–फुसलाकर अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध, अयुक्त सम्भोग करने के आशय से अथवा विवाह करने के आशय से व्यहृत किया, इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा धारा 363, 366 भा०दं०सं० का अपराध किया गया है?

13. अवधार्य बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व पत्रावली पर प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

14. अग्रेतर चर्चा से पूर्व यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि भारतीय

परिस्थितियों में **एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धान्त** लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय इस दायित्व के अधीन होता है कि वह भूसे के ढेर से सत्य के स्वीकार्य दाने पृथक करे। इस सम्बन्ध में निर्णयज विधियों का उद्धरण लिया जाना भी उचित प्रतीत होता है। **Kulvinder Singh Vs State of Punjab, AIR 2007 SC 2868** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "Principle of false in one false in all, cannot be applied in "falsus in uno, falsus in omnibus" relation to deposition of a witness who has been found lying on a particular fact and whose remaining part of testimony is otherwise truthful. Even if major portion of evidence of a witness is found deficient but residue is sufficient to prove the guilt of the accused, notwithstanding the acquittal of number co–accused, conviction can be recorded of some accused persons. It is duty of Court to shift grain from chaff." प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में संगत विषय पर उभय पक्ष के तर्कों के संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि किसी आपराधिक घटना के साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए साक्षीगण को तीन प्रकृति अर्थात पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी, अंशतः विश्वसनीय साक्षी एवं पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी के रूप में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए घटनास्थल पर साक्षीगण की उपस्थिति, उनके साक्ष्य की सहजता, घटना के वर्णन, साक्षीगण के परिवेश एवं आचरण इत्यादि को विचार में लेना होता है।

15. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में वादी मुकदमा पारसनाथ** को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन है कि घटना आज (बयान तिथि) से लगभग 12 साल पहले की है। वादी की लड़की पीड़िता उसकी उम्र उस समय चौदह–पन्द्रह साल थी। वादी के सगे भाई परनेश कुमार वादी की लड़की को अपने एक साथी मोलहे के साथ मिलकर रात 11 बजे बहका फुसलाकर भगा ले गये। पता लगाने पर पता चला कि वादी की लड़की को पटियाला ले गये हैं, खोजते–खोजते वादी पटियाला शहर गया। वहां पर वादी के गाँव के कुछ लोग रहते थे, उनसे वादी मिला तो उन्होंने बताया कि वादी की लड़की को परवेश व मोलहे गोण्डा लेकर चले गये हैं। तब वादी गोण्डा गया तो वहां अपने रिश्तेदारों से पता किया कि उपरोक्त मुल्जिमान ने मुल्जिम जग्गु उर्फ अजय कुमार के सहयोग से वादी की लड़की को मुल्जिम ओम प्रकाश के साथ बहका फुसलाकर शादी करा दिया है। तब से वे लोग लड़की की तलाश करते रहे, लड़की नहीं मिली। तब दिनांक 11.06.2012 को थाना कैसरगंज पे दरख्वास्त दिया। जिसके आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज हुई थी। पत्रावली में संलग्न तहरीर वादी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया, तो वादी ने उस पर लिखे तथ्यों की पुष्टि किया। तथा अपने हस्ताक्षर की पहचान की। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

वादी मुकदमा ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि घटना वाले दिन वादी अपने साढ़ू के यहाँ मुण्ड़न में गया था। जब वह लौटकर आया तो लोगों ने बताया था कि उसकी बिटिया पीड़िता मेला जाने की जिद कर रही थी। वादी की पत्नी के मना करने पर व डांटने पर अपनी नानी के यहाँ करनैलगंज बिना बताये चली गयी थी। बाद में जानकारी हुई व सचाई का पता चला कि मुल्जिमान परवेश, ओमप्रकाश, मोलहे व जग्गू का वादी की बेटी पीड़िता को बहला–फुसला कर भगाने में व अपहरण करने में कोई हाथ नहीं है। दरोगा साहब ने वादी का कोई बयान नहीं लिया था। थाना की पुलिस ने सादे कागज पर

हस्ताक्षर बनवा लिया था। तहरीर को पढ़कर वादी को सुनाया नहीं गया। वादी की पुत्री पीड़िता की शादी लगभग 12 वर्ष पहले (उक्त दर्शायी गयी घटना के बाद) किया था। बाराबंकी में शादी किया था। वादी की बेटी पीड़िता दो बच्चों की माँ है, वह सुखी जीवन व्यतीत कर रही है।

वादी मुकदमा ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि वादी पढ़ा लिखा नहीं है। किसी प्रकार हस्ताक्षर बना लेता है। वादी ने अपनी लड़की को ले जाते किसी को नहीं देखा। अगले दिन पता चला कि मुल्जिमान गायब हैं इसलिए शक के आधार पर मुकदमा लिखा दिया। जब मिली तो वादी की लड़की ने बताया कि वह अपने ननिहाल चली गयी थी। वादी ने अपनी पुत्री को डाँटा फटकारा था इसी से नाराज होकर वह अपने ननिहाल गयी थी। वादी को अपनी पुत्री की ननिहाल जाने की जानकारी नहीं थी इसलिए उसने मुकदमा लिखा दिया। वादी की लड़की स्वयं वापस आ गयी थी क्योंकि उसने एफ०आई०आर० करा रखी थी इसलिए पुलिस ने वादी की बेटी को अपनी संरक्षा में ले लिया था और मेडिकल वगैरह कराया था। वादी इसके पहले न्यायालय पर बयान दे चुका है। वादी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमानों से सुलह समझौता कर लिया है इसलिए उन्हें बचाने के लिए न्यायालय पर सही बात नहीं बता रहा है। वादी ने जो पहले बयान दिया था वह मुल्जिमानों से नाराज होकर दिया था। अब जो बयान दे रहा है वह सही बयान है। पुलिस ने वादी की बेटी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, उसने क्या बयान दिया इसकी जानकारी वादी को नहीं है।

16. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 2 के रूप में पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना को करीब 13 वर्ष हो गया है। वादी के पापा मौसा के यहाँ मुंडन संस्कार में गये हुए थे। पीड़िता भी अपने पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी, परन्तु पीड़िता की मां ने पीड़िता को जाने नहीं दिया और पीड़िता को डांटा था, तो पीड़िता अपने मां से गुस्सा होकर अपनी नानी के घर करनैलगंज चली गयी थी। लोगों के कहने पर पीड़िता के पापा ने परवेश, ओमप्रकाश, मोलहे, जग्गू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था। वापस आने पर पीड़िता ने अपने पापा से बताया था। उन लोगों ने पीड़िता को भगाया नहीं था, पीड़िता स्वयं ही नाना के घर गयी थी। पीड़िता को परवेश, ओमप्रकाश, मोलहे, जग्गू ने भगाया नहीं था। दरोगा जी ने पीड़िता से पूछताछ नहीं की थी। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुआ था वह पीड़िता ने अपने पिता व लोगों के कहने पर दिया था। बयान धारा 164 दं०प्र०सं० संलग्न पत्रावली है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया। बयान पढ़कर सुनाया तो पीड़िता ने उसमें लिखे तथ्यों को इन्कार करते हुए उसमें लगे अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया और कहा कि ये बयान पीड़िता ने अपने घर वालो के दबाव में आकर दिया था। मुल्जिमान पीड़िता को भगाकर नहीं ले गये थे।

पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि पीड़िता की शादी हो चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। पीड़िता कक्षा 08 तक पढ़ी है। पुलिस ने पीडिता से उसकी मार्कशीट नहीं ली थी। घर वालों ने दिया था या नहीं पीड़िता नहीं बता सकती। मुल्जिमान पीड़िता को भगाकर नहीं ले गये थे वह नाराज होकर अपने ननिहाल चली गयी थी। पीड़िता के मना करने पर ही ननिहाल वालों ने उसके वहाँ पहुँचने की सूचना घर वालों को नहीं दी थी। आज पीड़िता अपनी ससुराल से आकर बयान दे रही है। पीड़िता के ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है, उसने जो बयान दिया है अपनी स्वेच्छा से दिया है। पीड़िता ने

किसी से शादी नहीं की थी, न ही किसी ने उसकी शादी करायी थी। पीड़िता ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमानों से सुलह कर लिया है इसलिए उन्हें बचाने के लिए सही बयान नहीं दे रही है। यह भी कहना गलत है कि उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान दिया वो अपनी स्वेच्छा से दिया था, किसी के दबाव में नहीं दिया था। यह कहना सही है कि मुल्जिमानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है।

उपरोक्त साक्षी/पीड़िता को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी/पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना से पूर्णतया इन्कार किया है और अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी/पीड़िता का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

17. अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 3 के रूप में डा० राबिया सुल्ताना** को परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 12.06.2012 को साक्षी महिला चिकित्सालय बहराइच में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात थी। उस दिन 07.12 पी०एम० पर सुधा गोस्वामी द्वारा लायी गयी पीड़िता पुत्री श्री पारसनाथ निवासी बुढ़ानपुर थाना कैसरगंज बहराइच का मेड़िकल परीक्षण साक्षी द्वारा किया गया। पीड़िता का पहचान चिन्ह अंकित किया एवं उसके दाहिने हाथ का नि० अंगूठा भी लगवाया था तथा साक्षी द्वारा प्रमाणित किया गया। पीड़िता होश हवास में थी और अविवाहित थी। उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। उसको मासिक धर्म आ रहा था। चेस्ट डेवलप था। हायमन ओल्ट टून था। पी/वी– दो अंगुल बच्चेदानी नार्मल थी। वेजाएनल स्मेयर की दो स्लाइड बनाकर पैथालोजी विभाग को जाँच हेतु भेजा गया था। उसकी एक्सरे के लिए एक्सरे विभाग को भेजा गया था तथा उम्र निर्धारण हेतु सी०एम०ओ० बहराइच को भेजा गया था। मेडिकल रिपोर्ट साक्षी के हस्तलेख में है। साक्षी उसमें लिखे तथ्यों तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती है। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पूरक रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। पैथालाजी रिपोर्ट के अनुसार साक्षी ने अपनी पूरक आख्या तैयार की, जिसमें पीड़िता के कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया गया तथा कोई बोनो कोकार्ड भी नहीं मिले। सी०एम०ओ० बहराइच के प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की उम्र 17–18 वर्ष के बीच पायी गयी। बलात्कार के बारे में साक्षी कोई सुनिश्चित सलाह नहीं दे सकती है। पूरक रिपोर्ट साक्षी के हस्तलेख में है। साक्षी उसमें लिखे तथ्यों तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती है। जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि पीड़िता के परीक्षण रिपोर्ट में जीवित या मृत कोई शुक्राणु नहीं पाये गये। दरोगा जी ने साक्षी का बयान लिया था या नहीं उसे याद नहीं है। पीड़िता की उम्र सी०एम०ओ० बहराइच के प्रमाण पत्र के अनुसार 17–18 साल पायी गयी थी। पीडिता सायं सात बजकर बारह मिनट पर परीक्षण के लिए साक्षी के पास आयी थी। पीड़िता को पुलिस वाले लेकर आये थे। महिला पुलिस कर्मी लायी थी।

उपरोक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पीड़िता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तथा पूरक परीक्षण रिपोर्ट को साबित किया गया है।

18. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363** किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के लिए दण्ड का प्राविधान करती है तथा **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366** विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करने, अपहृत करने या उत्प्रेरित करने के लिए दण्ड का प्राविधान करती है।

19. धारा 363 भा०दं०सं० के आरोप के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन यह युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे कि पीड़िता अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा पीड़िता को अभियुक्तगण उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से उसकी स्वेच्छा के बिना ले जाता है अथवा बहका कर ले जाता है।

<u>घटना के समय पीड़िता की उम्र के निर्धारण के संबन्ध में विश्लेषण</u>

20. वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया गया है कि वादी की लड़की पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष को वादी के सगे भाई परवेश कुमार बहला–फुसला कर अपने सहयोगी मोहले के साथ दिनाँक 26.05.2012 को रात्रि करीब 11.00 बजे भगा ले गये हैं। वादी ने खोजबीन किया तो पता चला कि वादी की लड़की को उक्त दोनों लोग पटियाला शहर को ले गये हैं। वादी खोजते–खोजते पटियाला शहर गया वहाँ वादी के पड़ोस गाँव के रहने वाले लोगों ने बताया कि एक लड़की को वादी के भाई व गाँव का मोलहे वहाँ से गोण्ड़ा शहर लेकर चले गये हैं। वादी वहाँ से गोण्ड़ा आया तो रिश्तेदारों से जरिये फोन जानकारी किया तो पता चला कि ग्राम मगुरा बाजार निवासी जग्गू उर्फ अजय कुमार के सहयोग से वादी की लड़की की ओमप्रकाश के साथ बहला–फुसला कर शादी कर दिया है।

21. तहरीर के परिशीलन से स्पष्ट है कि तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता की उम्र 14 साल बतायी गयी है। पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा पारस नाथ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी पीड़िता की उम्र घटना के समय 14–15 वर्ष बतायी गयी है। पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में घटना के समय उसकी उम्र के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। पत्रावली पर अभियोजन द्वारा पीड़िता के शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को पत्रावली पर पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर ही यह निर्धारित करना है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र क्या थी।

22. पत्रावली पर संलग्न पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–4 जिसको अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 3 डा० राबिया सुल्ताना के माध्यम से साबित कराया गया है तथा उम्र निर्धारण रिपोर्ट प्रदर्श क–11 जिसकी प्रमाणिकता अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनाँक 18.06.2012 को पीड़िता की उम्र 17–18 वर्ष निर्धारित की गयी है। पत्रावली पर पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में कोई अन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा घटना की तिथि 26.05.2012 को होना बताया गया है। पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–4 से स्पष्ट है कि दिनाँक 18.06.2012 को पीड़िता की उम्र लगभग 17–18 वर्ष थी।

23. न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या अगर घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तथा पीड़िता अभियुक्त के साथ गयी तो मात्र इसी आधार पर यह माना जायेगा कि अभियुक्त द्वारा धारा 363 भा०दं०सं० का अपराध किया गया है अथवा नहीं।

24. इस संबन्ध में **S. Varadarajan Vs State of Madras (A.I.R. 1965, S.C.) 942** की विधि व्यवस्था का उल्लेख करना समीचीन पाता हूँ, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि There is distinction between taking and allowing a minor to accompany a person. The two expressions are not synonymous though we would like to guard ourselves from laying down that in no conceivable circumstance can the two be regarded as meaning the same thing for the purposes of s. 361 of the Indian Penal code. We would limit ourselves to a case like the present where the minor alleged to have been taken by the accused person left her father's protection knowing and having capacity to know the full import of what she was doing voluntarily joins the accused person. In such a case we do not think that the accused can be said to have taken her away from the keeping of her lawful guardian. Something more has to be shown in a case of this kind and that is some kind of inducement held out by the accused person or an active participation by him in the formation of the intention of the minor to leave the house of the guardian.

25. इसी प्रकार **Sanjay Kumar vs State Of U.P. Criminal appeal no. 3175/2017** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Word 'entice' involves an idea of inducement or allurement. One does not entice another unless the latter attempts to do a thing which she or he would not otherwise do.

26. प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा पारसनाथ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु जिरह में स्वंय यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन वादी अपने साढ़ू के यहाँ मुण्ड़न में गया था। जब वह लौटकर आया तो लोगों ने बताया था कि उसकी बिटिया पीड़िता मेला जाने की जिद कर रही थी। वादी की पत्नी के मना करने पर व डांटने पर अपनी नानी के यहाँ करनैलगंज बिना बताये चली गयी थी। बाद में जानकारी हुई व सच्चाई का पता चला कि मुल्जिमान परवेश, ओमप्रकाश, मोलहे व जग्गू का वादी की बेटी पीड़िता को बहला–फुसला कर भगाने में व अपहरण करने में कोई हाथ नहीं है। वादी ने अपनी लड़की को ले जाते किसी को नहीं देखा। अगले दिन पता चला कि मुल्जिमान गायब हैं इसलिए शक के आधार पर मुकदमा लिखा दिया। वादी की लड़की स्वयं वापस आ गयी थी क्योंकि उसने एफ०आई०आर० करा रखी थी इसलिए पुलिस ने वादी की बेटी को अपनी संरक्षा में ले लिया था और मेडिकल वगैरह कराया था।

27. पी०डब्लू० 2 पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और यह कथन किया गया है कि घटना को करीब 13 वर्ष हो गया है। वादी के पापा मौसा के यहाँ मुंडन संस्कार में गये हुए थे। पीड़िता भी अपने पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी, परन्तु पीड़िता की मां ने पीड़िता को जाने नहीं दिया और पीड़िता को डांटा था, तो पीड़िता अपने मां से गुस्सा होकर अपनी नानी के घर करनैलगंज चली गयी थी। लोगों के कहने पर पीड़िता के पापा ने परवेश, ओमप्रकाश, मोलहे, जग्गू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था। वापस आने पर पीड़िता ने अपने पापा से बताया था। उन

लोगों ने पीड़िता को भगाया नहीं था, पीड़िता स्वयं ही नाना के घर गयी थी। पीड़िता द्वारा जिरह में भी यह कथन किया गया है कि मुल्जिमान पीड़िता को भगाकर नहीं ले गये थे वह नाराज होकर अपने ननिहाल चली गयी थी। पीड़िता के मना करने पर ही ननिहाल वालों ने उसके वहाँ पहुँचने की सूचना घर वालों को नहीं दी थी।पीड़िता ने किसी से शादी नहीं की थी, न ही किसी ने उसकी शादी करायी थी।

28. अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 3 के रूप में डा० राबिया सुल्ताना को परीक्षित कराया गया है। साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में मेडिकल रिपोर्ट तथा पूरक मेडिकल रिपोर्ट को साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि पीड़िता के परीक्षण रिपोर्ट में जीवित या मृत कोई शुक्राणु नहीं पाये गये। दरोगा जी ने साक्षी का बयान लिया था या नहीं उसे याद नहीं है। पीड़िता की उम्र सी०एम०ओ० बहराइच के प्रमाण पत्र के अनुसार 17–18 साल पायी गयी थी।

29. अतः उपरोक्त तथ्य के साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से बहका कर अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है।

30. ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363 भा०दं०सं० का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। जहाँ तक धारा 366 भा०दं०सं० के अपराध का संबन्ध है, न्यायालय के विचार में अभियोजन धारा 363 भा०दं०सं० का आरोप साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 366 भा०दं०सं० का आरोप भी साबित नहीं होता है।

अवधार्य बिन्दु के विश्लेषण का सार।

31. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने साक्ष्य में दबाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान देने का कथन किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्तगण परवेश कुमार, मोलहे, ओमप्रकाश व जग्गू उर्फ अजय कुमार को सन्देह का लाभ देते हुए धारा 363 व 366 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

a– सत्र परीक्षण संख्या 318/2012, सरकार बनाम परवेश कुमार आदि, अपराध संख्या 339/2012, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच के मामले में अभियुक्तगण परवेश कुमार, मोलहे, ओमप्रकाश व जग्गू उर्फ अजय कुमार को धारा 363, 366 भा०दं०सं० के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

b– अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

c– अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त धारा 437(ए) दं०प्र०सं० में विहित उपबन्धों के अनुपालन में मु० 25,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो–दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह प्रस्तुत करे। अभियुक्तगण को यह भी आदेशित किया जाता है

कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने की दशा में, वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विहित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होगें। अपील न होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बन्धपत्र एवं जमानतमाने स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं तद्नुसार प्रतिभूगण उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे।

(बृजेश कुमार यादव)
दिनांकः 07.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(बृजेश कुमार यादव)
दिनांकः 07.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
JO Code No. UP 1605